**भारत सरकार**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय**

**कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1784**

**06 मार्च, 2020 को उत्‍तरार्थ**

**विषय: जंगली जानवरों के कारण किसानों को फसलों का भारी नुकसान**

**1784. श्री प्रसन्न आचार्यः**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में जंगली जानवरों के कारण किसानों को फसलों का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त कारण से फसलों को होने वाले औसत वार्षिक नुकसान का फसल-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में जानवरों के हमलों के कारण होने वाले फसलों के नुकसान को भी शामिल करने के लिए पीएमएफबीवाई के दिशानिर्देशों में संशोधन करने पर विचार कर रही है?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)**

(क) और (ख) जंगली जानवर देश के कई राज्यों में फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। जंगली जानवरों द्वारा नष्ट की गई फसलों के नुकसान की मात्रा का प्रबंधन संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्ल्यू) जंगली जानवरों द्वारा फसल के नुकसान के लिए डेटा तैयार नहीं करता है, तथापि, राज्यों से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा किसानों को फसल के नुकसान के लिए मुआवजे का भुगतान किया जाता है। पिछले दो वर्षों में भुगतान किए गए मुआवजे का ब्‍यौरा अनुबंध में संलग्‍न है।

(ग) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने रबी 2018-19 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के संशोधित दिशानिर्देशों के तहत राज्यों को जंगली जानवरों द्वारा, जहाँ भी जोखिम अत्‍यधिक हो और पहचान योग्य माना जाता है, हमले के कारण होने वाले फसल के नुकसान के लिए अतिरिक्त कवरेज प्रदान करने पर विचार करने की स्वतंत्रता दी है।

**रा.स.अता.प्र.सं.1784**

**अनुबंध**

**पिछले दो वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा भुगतान किया गया मुआवजा:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्‍य** | **वर्ष** |
| **2017-18** | **2018-19** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 34.96 | 111.34 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 10.17 | 10.14 |
| 3 | असम | 87.49 | 0.00 |
| 4 | बिहार | 4.07 | 2.37 |
| 5 | झारखंड | 412.01 | 470.77 |
| 6 | केरल | 29.01 | 69.95 |
| 7 | कर्नाटक | 1369.16 | 1028.13 |
| 8 | महाराष्ट्र | 1306.74 | 1410.17 |
| 9 | मेघालय | 51.85 | 79.95 |
| 10 | मिजोरम | 2.33 | - |
| 11 | तमिलनाडु | 186.41 | 215.51 |
| 12 | उत्तराखंड | 78.75 | 94.34 |

\*\*\*\*